IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-180-2010

DAMODAR PD. CHAUDHARY & OTHERS..................................PLAINTIFFS

Vs.

RAMBALI RAI & ANOTHERS...................................DEFEDNATS

ORDER

01.11.21 पुकार पर उभय पक्षों अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रार्थी वादी की ओर से कॉस्ट की राशि 2500/– रु0 नजारत में जमा कर रसीद सं0–96/12.07.21 एवं आवेदन दिनांक– 26.07.21, अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. की मूल प्रति दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–1 दामोदर प्रसाद चौधरी की मृत्यु दिनांक– 24.04.21 को हो चुकी है, जिनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक– 23.08.21 के द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः कोरोना महामारी के कारण विलंब माफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तद्नुसार मृत वादी सं0–1 के वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करे।

दिनांक– 20.12.2021 वास्ते सुनवाई कानूनी बिन्दु पर।

01/11/2021

अवर न्यायाधीश